न्यायालय - सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी - अनंत भण्डारी

1. नियमित दाण्डिक अपील संख्या - 29/2026 (77/2016)

1. अर्पित खंडेलवाल पुत्र श्री सुनील कुमार खंडेलवाल, प्रोपराईटर अर्पित एंड कंपनी, केडलगंज, अलवर (राज.)

--अपीलार्थी/परिवादी

विरूद्ध

1. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, अलवर (राज.)

---प्रत्यर्थी

2. नियमित दाण्डिक अपील संख्या - 31/2026 (76/2016)

1. अनुज गुप्ता पुत्र श्री सुनील कुमार खंडेलवाल, प्रोपराईटर राम शारदा प्रॉडक्ट, सर्राफा बाजार, अलवर (राज.)

--अपीलार्थी/परिवादी

विरूद्ध

1. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, अलवर (राज.)

---प्रत्यर्थी

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 01.03.2016, अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर, द्वारा प्रकरण संख्या 12/62/2015 सरकार बनाम अर्पित खंडेलवाल में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 06 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, में पारित आदेश से व्यथित होकर।

उपस्थित:-

1- श्री के.जी. खंडेलवाल, विद्वान अधिवक्ता - अपीलार्थीगण की ओर से।

2- श्री महेश चंद शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

निर्णय

दिनांक:16.03.2026

1- हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी अर्पित खंडेलवाल, प्रोपराइटर अर्पित एंड कंपनी केडलगंज की ओर से धारा 6 सी आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2016 को चुनौती दी है, जिस आदेश के द्वारा अपीलार्थी अर्पित खंडेलवाल के गोदाम से जब्तशुदा अनाज को सुपुर्दगी पर दिए जाने

बाबत अपीलार्थी अर्पित खंडेलवाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6a आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार कर जब्तशुदा सामग्री राजसात किए जाने के आदेश पारित कर जब्तशुदा माल के निस्तारण हेतु कमेटी गठित कर, माल को नीलाम कर, प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराने के आदेश पारित किए गए हैं।

2- जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा अपीलार्थी अर्पित खंडेलवाल के गोदाम पर अनाज की जब्ती के संबंध में की गई कार्यवाही के उपरांत, अनाज को सुपुर्दगी पर दिए जाने के क्रम में अपीलार्थी के भाई अनुज गुप्ता द्वारा भी, अनाज को सुपुर्दगी पर दिए जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 01.03.2016 के माध्यम से खारिज किया गया था, जिस आदेश को चुनौती देते हुए श्री अनुज गुप्ता द्वारा भी पृथक से एक अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। **चूंकि प्रस्तुत दोनों ही अपीलें एक ही कार्यवाही के संबंध में पारित एक ही आक्षेपित आदेश को चुनोती देते हुए पृथक-पृथक रूप से पेश की गई हैं, ऐसे में प्रस्तुत दोनों अपीलों का निस्तारण समेकित रूप से किया जा रहा है।**

3- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 21.10.2015 को जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा अर्पित एंड कंपनी के हिन्दूपाड़ा स्थित गोदाम का निरीक्षण किया गया एवं पर्चा मौका तैयार किया गया जिसके अनुसार मौके पर अर्पित खंडेलवाल स्वयं मौजूद मिले, जो अर्पित एंड कंपनी के प्रोपराइटर थे। फर्म के कारोबार परिसर गोदाम का निरीक्षण अवलोकन किया गया। गोदाम परिसर में विभिन्न प्रकार की दाल-दलहन का स्टॉक पाया गया। अर्पित ने बताया कि फर्म के नाम राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के अनुज्ञा पत्र जारी नहीं है, बिना अनुज्ञा पत्र के ही दाल दलहन का कारोबार किया जा रहा था। जिला रसद अधिकारी द्वारा गोदाम में मौजूद दाल-दलहन का विस्तृत विवरण पर्चा मौका में अंकित किया, जिसमें विभिन्न प्रकार की दालें पाई गईं, जिनका कुल वजन 1400 किलो होना रिपोर्ट में अंकित किया गया है। इसके अलावा 1 किलो, 1/2 किलो, 1/4 किलो की पैकिंग मैं भी दालें पाई गईं, जो अरहर दाल 20 किलो, मूंग धुली 20 किलो, राजमा बड़ा 25 किलो थीं। इस प्रकार गोदाम परिसर में दाल-दलहन का कुल 1465 किलो स्टॉक पाया गया, जिस बाबत रिपोर्ट में अंकन किया गया है। बिना अनुज्ञा पत्र कारोबार किए जाने के कारण दलहन के स्टॉक को कब्जे राज लिया जाकर, जब्त सरकार किया गया तथा मैसर्स रत्तीराम श्याम सुंदर को उक्त दाल-दलहन की सुरक्षा हेतु सुपुर्द किया गया।

4- उक्त कार्यवाही के उपरांत जिला रसद अधिकारी श्री ललित जैन ने जिला कलक्टर अलवर के समक्ष धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 1445 किलोग्राम दाल-दलहन को राजसात किए जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष उक्त प्रार्थनापत्र पर कार्रवाई आरंभ की गई। जिला रसद अधिकारी द्वारा धारा 6a आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब अर्पित खंडेलवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनका यह कथन रहा है कि मौके पर अर्पित खंडेलवाल के छोटे भाई

अनुज पुत्र सुनील कुमार की फर्म मैसर्स राम शारदा प्रोडक्ट्स का भी गोदाम स्थित है, किंतु जिला रसद अधिकारी ने मनमाने तरीके से दोनों गोदाम के स्टॉक को केवल फर्म अर्पित एंड कंपनी का मानते हुए, गलत प्रकार से दाल-दलहनों के स्टॉक को जब्त किया है। यह भी अंकित किया है कि राजस्थान ट्रेड आर्टिकल (लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल) ऑर्डर 1980 के तहत 10 क्विंटल की सीमा तक दाल-दलहन का स्टॉक बिना रजिस्ट्रेशन प्राप्त किए कारोबार करने का अधिकार प्राप्त है। उक्त अर्पित एंड कंपनी के हिंदू पाड़ा स्थित गोदाम में 775 किलोग्राम दाल-दलहन का स्टॉक था, जो 10 क्विंटल की सीमा से कम था। शेष 690 किलोग्राम के दाल-दलहन मैसर्स राम शारदा प्रोडक्ट्स, सर्राफा बाजार, अलवर के प्रोपराइटर अनुज गुप्ता का था, जिसका गोदाम भी इसी मकान में स्थित है, जो की पैतृक मकान है। मकान में पिताजी सुनील कुमार ने दोनों भाइयों को अलग-अलग कमरे, गोदाम हेतु दिये हुए हैं। समस्त दाल-दलहन एक ही फर्म का मानकर गलत रूप से जब्त किया गया है।

5- पृथक से एक प्रार्थना पत्र अनुज गुप्ता द्वारा भी अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर द्वितीय के समक्ष पेश किया गया और उन्होंने स्वयं का 690 किलोग्राम का स्टॉक होना बताया है, जिसे गलत रूप से जब्त करना बताया है। इस प्रकार अनुज गुप्ता व अर्पित खंडेलवाल ने जब्तशुदा माल को उनकी सुपुर्दगी पर दिए जाने की प्रार्थना की है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर द्वितीय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6a आवश्यक वस्तु अधिनियम का निस्तारण,आदेश दिनांक 01.03.2016 के द्वारा किया गया, जिसमें सुपुर्दगी पर दिए जाने के दोनों प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है एवं धारा 6a राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा माल को राजसात किए जाने के आदेश पारित कर माल के निस्तारण के लिए भी आदेश पारित किए गए। न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती देते हुए अर्पित खंडेलवाल व अनुज गुप्ता द्वारा पृथक-पृथक अपीलें पेश की गई है।

6- प्रस्तुत अपीलों के संदर्भ में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि हिंदू पाड़ा स्थित गोदाम दोनों फर्मों का गोदाम था, जिसमें दोनों ही फर्मों के माल पृथक-पृथक रूप से रखे हुए थे, जिस समस्त माल को एक ही फर्म का मानते हुए, गलत रूप से जब्ती की कार्यवाही मौके पर जिला रसद अधिकारी ने की है। फर्म को 10 क्विंटल से कम सामान रखने का अधिकार था। मैसर्स अर्पित एंड कंपनी के प्रोपराइटर अर्पित खंडेलवाल का माल 755 किलोग्राम था व एक अन्य फर्म, जो अर्पित खंडेलवाल के भाई अनुज गुप्ता की थी, उस फर्म राम शारदा प्रोडक्ट्स का माल 690 किलोग्राम भी था, जो पृथक माल था, परंतु दोनों माल गलत रूप से एक ही फर्म के माने गए और अनुज गुप्ता का माल अलग नहीं माना गया। दोनों ही फर्म अलग-अलग व्यापार करती हैं। दोनों ही फर्मों का माल दोनों ने अलग-अलग क्रय किया था, जिसके बिल भी प्रस्तुत किए गए, जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। दोनों ही फर्मों का व्यापार पृथक है, लेकिन मनमाने तरीके से जब्ती की कार्रवाई की गई। अतः आक्षेपित आदेश आपास्त किए जाने योग्य है एवं अपीलार्थीगण को पृथक-पृथक उनके माल सुपुर्दगी पर दिए जाने योग्य हैं, जिस माल को दोनों ही अपीलार्थीगण को सुपुर्दगी पर प्रदान किया जाए।

7- अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि दोनों फर्मों का पृथक-पृथक माल था, यह स्पष्ट रूप से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकट किया गया। अनुज गुप्ता प्रोपराइटर राम शारदा प्रोडक्ट्स का माल निम्नलिखित प्रकार से था :-

क्र.सं.	**किस्म**	**बैग की संख्या**	**वजन**
1.	**मूंग दाल धुली**	**9 बैग**	**270 किलोग्राम**
2.	**राजमा**	**3 बैग**	**60 किलोग्राम**
3.	**काबली चना**	**4 बैग**	**120 किलोग्राम**
4.	**मूंग दाल छिलका**	**8 बैग**	**240 किलोग्राम**
			कुल वजन - 690 किलोग्राम

8- इसके अलावा अर्पित एंड कंपनी के प्रोपराइटर अर्पित खंडेलवाल का माल निम्नलिखित प्रकार से था :-

क्र.सं.	**किस्म**	**बैग की संख्या**	**वजन**
1.	**मूंग दाल धुली**	**5 बैग**	**250 किलोग्राम**
2.	**मूंग दाल धुली**	**8 बैग**	**160 किलोग्राम**
3.	**अरहर दाल**	**3 बैग**	**90 किलोग्राम**
4.	**मसूर दाल**	**1 बैग**	**10 किलोग्राम**
5.	**मूंग साबूत**	**6 बैग**	**180 किलोग्राम**

इसके अतिरिक्त एक किलो, आधा किलो, 250 ग्राम की पैकिंग की अरहर दाल, मूंग की धूली दाल, राजमा कुल 65 किलोग्राम यानि कुल 755 किलोग्राम प्रार्थी का है।

9- दोनों ही फर्मों के स्पष्ट रूप से पृथक-पृथक बैग थे, उन्हें अलग नहीं मानते हुए एक ही फर्म का माना गया और गलत कार्रवाई की गई। उनका यह भी तर्क रहा है कि दोनों ही फर्मों द्वारा पृथक रूप से माल क्रय किया गया था, जिसके बिल भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किए गए थे, जिस पर कोई विचार नहीं किया गया। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार कर उनके जब्तशुदा माल को सुपुर्दगी पर दिए जाने का निवेदन किया।

10- विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि मौके पर केवल अर्पित खंडेलवाल का ही माल था। उन्होंने कहीं भी मौके पर यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके भाई का माल भी मौके पर गोदाम में है, न ही उनका भाई मौके पर उपस्थित आया था। मौके पर जिला रसद अधिकारी को पृथक-पृथक माल होने के संबंध में कोई बिल भी नहीं दिए गए थे। ऐसे में जिला रसद अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को गलत नहीं माना जा सकता है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपीलों को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

11- दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया प्रस्तुत बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया।

12- हम पाते हैं कि पर्चा मौका जो दिनांक 21.10.2015 को बनाया गया, उसमें मौके पर अर्पित खंडेलवाल पुत्र सुनील कुमार का उपस्थित मिलना बताया है और अर्पित खंडेलवाल को ही अर्पित एंड कंपनी का प्रोपराइटर होना भी बताया है और इसी फर्म के कारोबार का गोदाम मौके पर पाया गया और निम्नलिखित प्रकार से दाल दलहन का स्टॉक पाया गया:-

क्र.सं.	किस्म	बैग की संख्या	वजन
1.	**मूंग दाल धुली**	**5 बैग**	**250 किलोग्राम**
2.	**मूंग दाल धुली**	**8 बैग**	**160 किलोग्राम**
3.	**मूंग दाल धुली**	**9 बैग**	**270 किलोग्राम**
4.	**मूंग दाल छिलका**	**8 बैग**	**240 किलोग्राम**
5.	**अरहर दाल**	**3 बैग**	**90 किलोग्राम**
6.	**छोले सफेद**	**4 बैग**	**120 किलोग्राम**
7.	**मसूर दाल**	**1 बैग**	**10 किलोग्राम**
8.	**राजमा**	**3 बैग**	**60 किलोग्राम**
9.	**मूंग साबूत**	**6 बैग**	**180 किलोग्राम**

13- उपरोक्त के अलावा प्रत्येक 11 किलोग्राम के बैग में अरहर दाल 20 किलोग्राम, मूंग धुली दाल 20 किलोग्राम एवं राजमा बडा 25 किलोग्राम, कुल मिलाकर 1445 किलोग्राम का स्टॉक पाया गया।

14- अपीलार्थीगण ने पृथक-पृथक कमरों में दो फर्मों का माल होना बताया है, परंतु पर्चा मौका के अवलोकन से कहीं भी यह प्रकट नहीं होता है कि दोनों फर्मों का माल अलग-अलग रखा गया हो, बल्कि एक ही स्थान पर समस्त माल पाए जाने का विवरण है। मौके पर पृथक-पृथक माल दो फर्मों के द्वारा क्रय किए जाने के संबंध में बिल भी जिला रसद अधिकारी को उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत रूप से कार्यवाही की गई हो। बाद में न्यायालय के समक्ष बिल राम शारदा प्रोडक्ट्स की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु उक्त बिल यदि पूर्व के होते, तो अवश्य ही गोदाम में उक्त बिलों को जिला रसद अधिकारी को दिखाया जाता। ऐसे में राम शारदा प्रोडक्ट्स के बिल पर विश्वास किए जाने का कोई उचित आधार नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम पाते हैं कि जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 30.10.2024 को की गई कार्यवाही में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है, क्योंकि माल एक ही फर्म मैसर्स अर्पित खंडेलवाल एंड कंपनी का जब्त किया गया है, जिसके पास 10 क्विंटल से ज्यादा माल पाया गया था, जिसे जब्त करने में कानून की त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। अतः अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर द्वितीय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2016

में माल को राजसात किया जाना तथा माल का निस्तारण किए जाने के आदेश में कोई त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है। परिणामस्वरुप दोनों अपीलों में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज किए जाने योग्य है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 01.03.2016 पुष्ट किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

15- लिहाजा अपीलार्थीगण अर्पित खंडेलवाल एवं अनुज गुप्ता की ओर से प्रस्तुत हस्तगत पृथक-पृथक अपीलें अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 01.03.2016 की पुष्टि की जाती है।

16- विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय के साथ अविलंब लौटाई जावे।

(अनंत भण्डारी)

17- निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर, बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन, विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(अनंत भण्डारी)